

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग


क्रमांक: प. 6(1)चिशि/गुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 03.08.2017

आदेश


द्वितीय वर्ष बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की निम्न छात्रा के स्वयं के प्रार्थना पत्र एवं सम्बन्धित कॉलेजों व राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर इनका माईग्रेशन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	नाम एवं पद नाम	विशिष्टता	कहां से	कहां को
1.	सुश्री ज्योत्सना व्यास पुत्री श्री प्रभाकर व्यास	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	SLNG INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY, JODHPUR	SWASTHYA KALYAN COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY, SITAPURA, JAIPUR

आज्ञा से,

(भगवती सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. PRINCIPAL, SLNG INSTITUTE OF PHYSIOTHERAPY, JODHPUR, NEAR ANANT RAM JI KI BAGECHI, II 'C' ROAD, SARDAPURA, JODHPUR
6. PRINCIPAL, SWASTHYA KALYAN COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY, SITAPURA, JAIPUR
7. सुश्री ज्योत्सना व्यास पुत्री श्री प्रभाकर व्यास, बृहमपुरी साठ घरो का बास, चांदपोल, जोधपुर।
8. रक्षित पत्रावली


(शम्भू दयाल प्रजापति)
अनुभागाधिकारी